प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 14 जनवरी,2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रिन्कू उर्फ अमरीश पुत्र श्री किशन, निवासी जनपद-लखनऊ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक,(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-36860/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 19-11-2024, दिनांक 05.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रिन्कू उर्फ अमरीश पुत्र श्री किशन, मकान नं0-551क/676/11/1ग मधुवन नगर, थाना-कृष्णानगर, जनपद-लखनऊ का निवासी है। बन्दी द्वारा बुटीक की दुकान से रिन्कू को निकालने की रंजिश को लेकर दिनांक 09.07.2014 को कैची से मारकर गुरुप्रीत सिंह सेठी को घायल कर दिया, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु को गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-1062/2014, भा0द0वि0 की धारा- 302, 323, 504, 506, 427 में मा० न्यायालय षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश, पी०सी० एक्ट, लखनऊ के दण्डादेश दिनांक 07.09.2019 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 19.08.2024 तक अपरिहार 10 वर्ष, 01 माह, 10 दिन तथा सपरिहार 11 वर्ष, 05 माह, 21 दिन की सजा भोगी गयी है। पुलिस उपायुक्त, लखनऊ द्वारा अपनी आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध को सीमित अपराध की श्रेणी में होने, किन्तु पुनः अपराध कारित किये जाने की संभावना व्यक्त की गयी है एवं बन्दी द्वारा संज्ञेय अपराध को रोकने हेतु जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा पुलिस उपायुक्त की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रिन्कू उर्फ अमरीश (बन्दी संख्या-444/2023) पुत्र श्री किशन, निवासी जनपद-लखनऊ की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-31/2026/2094(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।